प्रकरण स0 195/2021 अनवान सुरेन्द्र सिंह

Continuation Note Sheet

दिनांक 10.02.2021

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा बहस समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किए कि प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है परन्तु अप्रार्थी को यह जमीन विरास्तन प्राप्त हुई है। जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हक व हिस्सा है। अप्रार्थी ने यदि यह जमीन बच दी तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा कन्फर्म फरमायी जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किए कि वादी/प्रार्थी ने पैतृक सम्पत्ति के आधार पर दावा पेश किया है। परन्तु प्रश्नगत आराजी पैतृक सम्पत्ति नहीं है, वादी द्वारा पैतृक सम्पति के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज और जमाबंदी पेश नहीं की है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने याचिका अन्तर्गत धारा 13(1) हिन्दु विवाह अधिनियम बाबत विवाह विच्छेद दिनांक 21.10.2019 की प्रमाणित प्रति तथा शपथ पत्र द्वारा रानी दिनांक 05.11.2018 के पेरा 3 व 4 का उल्लेख कर कथन किए कि प्रार्थीगण नाबालिग है एवं उनकी माता द्वारा यह दावा प्रस्तुत किया गया है जबकि रानी द्वारा दिनांक 05.11.2018 को निष्पादित शपथ पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि वह भविष्य में अपने पति(अप्रार्थी) से किसी प्रकार से सम्पत्ति बाबत कोई कलेम नहीं करेगी। अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टान्त 2018 RRT Pag. 692, DNJ 2016 RAJASTHAN Pag.1 प्रस्तुत किये। साथ ही कथन किए कि प्रार्थी द्वारा कब्जे के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किए। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता। अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त कर खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन एवं माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरणों के निस्तारण हेतु विधि द्वारा सुस्थापित निम्नांकित बिन्दुओं पर विचारण किया गया– 1. प्रथम दृष्टया मामला। 2. सुविधा का संतुल। 3. अपूर्णीय क्षति।

प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी प्रश्नगत आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रश्नगत आराजी का पैतृक सम्पत्ति होना निर्विवाद रूप से साबित हो। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दोराने बहस यह

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण सं0 .....अनवान.....

Continuation Note Sheet

स्वीकार किया गया कि प्रश्नगत आराजी पर कब्जा भी अप्रार्थी का ही है। इस स्थिति में जबकि अप्रार्थी प्रश्नगत आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है एवं कब्जा भी अप्रार्थी का है तथा पैतृक सम्पत्ति के सम्बनध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थी के पक्ष में अधिक बनता है।

पत्रावली पर उपलब्ध शपथ पत्र दिनांक 05.11.2018 की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि प्रार्थी की पत्नी मनजीत कौर उर्फ रानी(प्रार्थीया) ने शपथ पत्र के पैरा संख्या 3 व 4 में यह स्वीकार किया है कि अप्रार्थी की सम्पत्ति में प्रार्थीया एवं उसका बच्चा का किसी प्रकार का हक व हिस्सा नहीं रहेगा एवं ना ही वह कोई कलेम करेंगे। शपथ पत्र से भी सुविधा का संतुलन प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित होता है। अधिवक्ता प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में यह साबित करने में असफल रहे कि अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज जोने पर प्रार्थीगण को किसी प्रकार अपूर्णीय क्षति होगी।

उक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेघाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाते हैं। अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है एवं मौका पर काबिज है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 08.08.2019 खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैलसाशमार होकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद संख्या 159/2020 अनवान सुरेन्द्र सिंह बनाम परमजीत सिंह रहे।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व अपील अधिकारी)
श्रीगंगानगर (राज.)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner